

१

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर
// आदेश //

८

क्रमांक C/2745/

०६
जबलपुर, दिनांक १२/०६/२०१८

कु अंकिता मिश्रा, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कमचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को "सत्र 2018-19 में स्वाध्यायी रूप से बी.ए प्रथम वर्ष की परीक्षा" में समिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है -

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर सकते कार्य पर उपरिणित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य जो लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो तथा कार्यालयीन कार्ट प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न पाए गए तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।

(नौ फर्हीम अनवर)
6.6.18

क्रमांक C/2746/

रजिस्ट्रार जनरल
जबलपुर, दिनांक १२/०६/२०१८

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (प्रशासन) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. ज्वाइट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. अनुभाग अधिकारी स्थापना/प्रोटोकॉल उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. सहायक स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. कु अंकिता मिश्रा, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कमचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेपित।

11.6.18

(सतीश चन्द्र राय)

रजिस्ट्रार (प्रशासन)

Registrar (Administration)

High Court of Madhya Pradesh

Jabalpur